

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट में 15 अभियुक्तगण को दिलायी गयी सजा- जनपद रामपुर में बालकों के साथ होने वाले अपराधों को रामपुर पुलिस द्वारा गम्भीरता से लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल थानों पर मुकदमें पंजीकृत किये जाते हैं एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर, अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा समय-समय पर महिलाओं एवं बालकों से सम्बन्धित मुकदमों की विवेचना करने वाले विवेचकों के साथ गोष्ठी की गयी जाती है। मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी करने के लिए समय-समय पर परोकारों के साथ गोष्ठी कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते हैं जिससे अभियुक्तों को अतिशीघ्र मा0 न्यायालय से सजा दिलायी जा सके। 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक रामपुर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय से 13 वादों में 15 अभियुक्तगणों को सजा दिलायी गयी, जिनमें से 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 14 अभियुक्तगण को अन्य सजाएं सुनायी गयी। इसके अतिरिक्त दिनांक 01-01-2021 से दिनांक 31-01-2021 तक रामपुर पुलिस द्वारा 04 वादों में 04 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय से सजा दिलायी गयी।

दिनांक 01-01-2021 से दिनांक 31-01-2021 तक सजा का विवरण निम्नवत् है-

01-थाना शहजादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-209/18 धारा 452,354ख भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र बुलाकीराम निवासी ग्राम मेघा नगला थाना शहजादनगर, रामपुर को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

02-थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-545/15 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त शम्भू पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम मढैया नागर बाग थाना सिविल लाइन, रामपुर को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

03-थाना शहजादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-123/15 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त राकेश पुत्र वीर सिंह निवासी धर्तुरा नगला थाना मूण्डापाण्डे जनपद मुरादाबाद को 07 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

04-थाना शाहबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-585/17 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र मिलाल निवासी चन्द्रपुर सालिम थाना शाहबाद, रामपुर को 10 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना स्वार:- ई-कचरा को जलाते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा मौके से जला-अधजला करीब 14 कुन्तल ई-कचरा बरामद-

दिनांक 02-02-2021 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा बिलासपुर रोड पर निर्माणाधीन मण्डी के पास तालाब के किनारे से 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण छोटा हाथी नम्बर-यू.के. 06सीए 6239 में प्लास्टिक के कट्टों में भरकर लाये ई-कचरा को उतारकर तालाब किनारे जला रहे थे। मौके से जला-अधजला करीब 14 कुन्तल ई-कचरा बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01-इरशाद पुत्र मौ0 हुसैन निवासी मौ0 किला खेडा थाना केलाखेडा जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

02-अनवार पुत्र अवरार निवासी ग्राम लाम्बा खेडा थाना टांडा, रामपुर।

बरामदगी-

मौके से जला-अधजला करीब 14 कुन्तल ई-कचरा बरामद हुआ।

पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग जगह-जगह से ई-कचरा खरीद कर लाते हैं और उसे जलाकर जो उसमें से ताम्बा, पीतल आदि निकलता है उसे बेच देते हैं।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-38/21 धारा 269,270 भादवि व धारा 3/8 उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल अधिनियम बनाम इरशाद आदि 02 नफरा।

थाना कोतवाली:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-02-2021 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त शहनवाज खां पुत्र नवी अहमद खां निवासी चैपाल हजरत नूर खां नालापार थाना कोतवाली, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना गंज:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-02-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त दिनेश पुत्र छोटे लाल निवासी खजान खां का कुंआ थाना गंज, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।